

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.288.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति की दर 2 प्रतिशत प्रतिमास से घटाकर इसके द्वारा 1 प्रतिशत प्रतिमास करती है।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-224]

राज्यपाल के आदेश से,


मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.288.- In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby reduces the rate of penalty payable under the said Act from 2% per month to 1% per month.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-224]

By order of the Governor,


(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government